

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1436 / 2012 / चुरु.
2. अपील संख्या - 1437 / 2012 / चुरु.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-तृतीय, रतनगढ़, चुरु.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विक्रमादित्य सीमेन्ट प्रा० लिमि., सुजानगढ़ चुरु.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अभिषेक अजमेरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05 / 06 / 2017

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह दोनों अपीलें उपायुक्त अपीलस, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 02.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-३, रतनगढ़, चुरु (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(7) सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 के लिये पारित आदेश दिनांक 27.03.1998 के जरिये निम्नांकित तालिकानुसार आरोपित की गई मांग राशियों को अपास्त कर अपीलीय अधिकारी द्वारा दोनों अपीलें स्वीकार की, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह दोनों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

2. दोनों प्रकरण के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

अ.सं.	अपी. अधि. की अपील संख्या	कर	ब्याज	शास्ति	कुल मांग
1436 / 12	134 / आएसटी / चुरु / 2006-07	1,05,292	60,992	7,890	1,86,174
1437 / 12	135 / सीएसटी / चुरु / 2006-07	36,485	18,972	450	55,907

3. प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवसायी को मिनी सीमेन्ट प्लांट पर राजस्थान औद्योगिक प्रोत्साहन योजना, 1987 के तहत बिक्री कर से 100 प्रतिशत करमुक्ति प्रदान की गई थी जिसके अनुसार व्यवसायी को वर्ष 1995-96 में देय कर से पूरी छूट प्राप्त थी। माननीय राजस्थान कराधान

लगातार.....2

अधिकरण द्वारा मैसर्स भटनागर सीमेन्ट कम्पनी (1996) 103 STC Page 146 में यह निर्णय दिये जाने पर कि मिनी सीमेन्ट प्लांट की ईकाइयों पर प्रोत्साहन योजना में केवल 50 प्रतिशत का ही लाभ स्वीकार होना चाहिये। इस निर्णय के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को देय कर में 50 प्रतिशत की छूट ही प्रदान की व अवशेष 50 प्रतिशत राशि की मांग मय ब्याज सृजित की गई। इसके पश्चात मैसर्स भटनागर सीमेन्ट कम्पनी के उक्त निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में केवल भटनागर सीमेंट के निर्णय दिनांक 19.07.1996 के आधार पर किये गये करारोपण के अन्य मामलों में भी राजस्थान कर बोर्ड में चुनौती दी गई थी तब माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मैसर्स विजेता सीमेंट प्रा. लिमिटेड अपील संख्या 1280/2006/अलवर निर्णय दिनांक 12.07.2011 के निर्णय में यह अवधारित किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय 99 STN 186 के पश्चात मैसर्स भटनागर सीमेन्ट कम्पनी के न्यायिक निर्णय के आधार पर करमुक्ति का लाभ अपास्त किया जाना अविधिक हो चुका है। माननीय कर बोर्ड के न्यायिक निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन अपील को स्वीकार करने से व्यथित होकर विभाग द्वारा उपरोक्त अपीलें कर बोर्ड में अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं।

4. केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत पारित आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी' फॉर्म के अभाव में की गयी बिक्री पर 4 प्रतिशत के स्थान पर पूर्ण कर दर 16 प्रतिशत से करारोपण किये जाने को भी अपास्त किया गया है जो पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत था जो भी दिनांक 17.12.1999 से निरस्त हो चुका है अतः अपील स्वीकार की गयी थी।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से अपीलीय आदेश दिनांक 02.01.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील में उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताया परन्तु अपीलीय आदेश में दिये गये विधिक निर्णय जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुशीलन में पारित किये गये उस पर कोई विपरीत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

6. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा मैसर्स विजेता सीमेंट प्रा. लिमिटेड की अपील संख्या 1280/2006/अलवर में पारित निर्णय दिनांक 12.07.2011, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 99 एस.टी. एन. 186 के आलोक में पारित किया गया है, के आलोक में अपीलीय अधिकारी



लगातार.....3

द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित माननीय न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया।

8. अपीलों में प्रश्नगत बिन्दु कि मिनी सीमेंट प्लांट पर प्रोत्साहन योजना 1998 के तहत कर का 100 प्रतिशत अथवा 50 प्रतिशत राशि की मुक्ति प्राप्त होगी, इस बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा माननीय कराधान अधिकरण के निर्णय को निरस्त कर दिये जाने के पश्चात् यह विधिक स्थिति कायम रही कि मिनी सीमेंट प्लांट को 100 प्रतिशत से करमुक्ति होगी। इस बिन्दु पर चूंकि माननीय कर बोर्ड द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्णय मैसर्स विजेता सीमेंट प्रा० लि० में यह निर्णय किया गया कि इन्हें 100 प्रतिशत से करमुक्ति प्राप्त होगी अतः इस विधिक एवं न्यायिक निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय न्यायसम्मत होने से इस बिन्दु पर अपील खारिज की जाती है।


9. प्रकरण में दूसरा बिन्दु यह है कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के तहत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में व्यवहारी की अन्तर्राज्यीय बिक्री, बिना सी-फार्म के समर्थन के होने से चार प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया था, जिसका आधार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मैसर्स दिग्विजय सीमेन्ट कम्पनी दिनांक 31.03.1997 का निर्णय था, जिसमें राज्य सरकार की अधिसूचना को अविधिक ठहराया गया था। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के तहत प्रस्तुत अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उस निर्णय को अपास्त किया गया है जिसमें बिना 'सी' फार्म के समर्थन के की गई बिक्री पर पूर्ण कर दर लागू होना अविधिक माना गया है। अपीलीय अधिकारी का उक्त निर्णय मैसर्स दिग्विजय सीमेन्ट प्रा. लि. बनाम राज. राज्य 117 STC Page 395 में उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय दिनांक 17.12.1999 के आधार पर किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय की लार्जर बेंच द्वारा इसी फर्म के मामले में दिनांक 31.3.1997 में दिये गये निर्णय को निरस्त कर यह निर्णीत किया जा चुका है कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम, 1956 की धारा 8(5) के तहत दिनांक 7.3.1994 को जारी अधिसूचना अनुसार सीमेन्ट की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 4 प्रतिशत की कर दर बिना 'सी-फार्म' लागू होगी।



लगातार.....4

10. फलतः उक्त दोनों ही बिन्दुओं पर विवाद का प्रारम्भ न्यायिक निर्णयों के कारण हुआ था एवं पश्चातवर्ती निर्णयों से सम्पूर्ण विधिक स्थिति अपीलार्थी के पक्ष में निर्णीत हो चुकी है एवं उक्त दोनों बिन्दुओं पर पूर्व में माननीय कर बोर्ड द्वारा मैसर्स विजेता सीमेण्ट प्रा. लि. के प्रकरण में निर्णय कर दिये जाने से राजस्व की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य